

आदेश

टोक जिले मे कार्यरत निम्न नर्स-2 का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का बकाया वेतन कॉलम संख्या 4 में अंकित स्थान से उपस्थिति के प्रमाणीकरण के आधार पर आहरित किये जाने के स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। फलस्वरूप निदेशालय के पूर्व आदेश क्रमांक 1195 दिनांक 16.08.2018 के द्वारा निम्न कार्मिकों का प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर से नर्स प्रथम के पद विरुद्ध जारी वेतन आहरण की स्वीकृति को उनके द्वारा पद रिक्त नही होने की स्थिति में वेतन आहरण नहीं किया गया है, को एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

क्र.स.	नाम कर्मचारी	बकाया वेतन अवधि	वेतन आहरण स्थान
1.	चन्द्र सिंह पवार	दिनांक 01.02.17 से दिनांक 30.06.18 तक	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
2.	पवन कुमार शर्मा	दिनांक 1.02.17 से दिनांक 30.06.18 तक	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
3.	मनोज इन्दोरिया	दिनांक 01.02.17 से दिनांक 30.06.18 तक	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
4.	सुशीला मीणा	दिनांक 01.02.17 से दिनांक 30.06.18 तक	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
5.	मधु मीणा	दिनांक 01.02.17 से दिनांक 30.06.18 तक	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
6.	रमेश माली	दिनांक 01.11.17 से दिनांक 30.06.18 तक	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
7.	चन्दालाल बैरवा	दिनांक 01.03.17 से दिनांक 30.06.18 तक	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
8.	शकर लाल मीणा	दिनांक 01.03.17 से दिनांक 30.06.18 तक	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
9.	रामचरण शर्मा	दिनांक 01.03.17 से दिनांक 30.06.18 तक	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
10.	राजकुमार जैन	दिनांक 01.03.17 से दिनांक 30.06.18 तक	अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/टी-37/2019/683

दिनांक 16/08/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर/जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
4. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों का उपरोक्त अवधि का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त कर वेतन आहरण करें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधीक्षक कार्मिकों का उपस्थिति प्रमाण पत्र अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर को अविलम्ब गिजावने का श्रम करें ताकि इनका वेतन आहरण किया जा सके।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोक।
7. संबंधित कार्मिकों द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर।